आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
C 04/08/2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **सर्वे अपील वाद 102/2008** **जगरन्नाथ पाहन एवं दशरथ पाहन बनाम् अलीउद्दीन अंसारी एवं अन्य** **आदेश** सर्वे अपील 102/2008 जगरनाथ पाहन एवं दशरथ पाहन द्वारा अलीउदीन असांरी एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया गया था, जिसमें बन्दोंबस्त पदाधिकारी, रांची द्वारा राजस्व अपील 09/2008 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रश्नगत वाद में ग्राम–चन्दवे खाता 168A /67 प्लॉट 2/2 रकबा 39 डि0 तथा वाद नं 4/4 रक्वा 58 डिसमिल में अवस्थित भूमि के सर्वे इन्द्रांज का विवाद सन्हित है। आवेदकों का कथन है कि प्रश्नगत भूमि सितल पाहन एवं कोइना पाहन के नाम से दर्ज है। तथा आवेदक इनके वंशज है। हाल सर्वे में प्रश्नगत भूमि प्रतिवादियों के नाम से खाता दर्ज किया गया है। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या 27/2007 में प्रश्नगत भूमि के स्थल जांच के पश्चात प्रतिवादी नाम के इन्द्राज को विलोपित करते हुए आवेदकों के नाम से खाता खोलने का आदेश दिया गया था। किंतु बन्दोंबस्त पदाधिकारी द्वारा तथ्यों की उचित जांच किये बिना उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि आवेदकों की खतियानी रैयती भूमि है तथा विपक्षी गलत तरीके से उक्त भूमि को कब्जा करना चाहते है। विपक्षियों का कथन है कि उक्त भूमि उन्हें 1938 में तत्तकालीन जमीनदार से बन्दोबस्ती के माध्यम से प्राप्त हुई थी तथा खतियानी रैयत द्वारा उक्त भूमि जमीनदार के पक्ष में प्रत्यार्पित कर दी गई थी। उक्त समय भूमि के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नही थी। खानापूर्ति के समय दखल के आधार पर विपक्षियों के नाम से बण्डा पर्चा भी तैयार किया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलार्थियों के तरफ से कोई आपत्ति दायर नही की गई एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष सीधे पुनरीक्षण वाद दायर किया गया। उनके द्वारा पुनरीक्षण वाद में अपीलार्थियों के पक्ष में आदेश दिया गया। जिसके विरूद्ध बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई जिनके द्वारा विपक्षियो के पक्ष में आदेश पारित किया गया। सुनवाई के दौरान आवेदक के तरफ से इस भूमि के संबंध में दायर भूमिवापसी वाद की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया इन्ही पक्षकारों के बीच इसी भूमि को लेकर भूमिवापसी वाद भी दायर हुए थे। इस न्यायालय द्वारा	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

वाद संख्या 40/2010 में पारित आदेश के पश्चात अपर समाहर्त्ता रांची द्वारा 26.04.2017 को एक विस्तृत आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत भूमि के आदिवासी रैयतों को लौटाने का आदेश पारित किया जा चुका है। विचारणीय है कि विपक्षियो के द्वारा इस भूमि वापसी वाद से संबंधित तथ्यों को छुपाया गया है। कथित निबंधित इस्तीफा सं०–739 दिनांक 25.03.38 को कभी भी क्रियान्वित नही किया गया था। प्रश्नगत भूमि के इस्तीफा तथा जमीनदार द्वारा बन्दोबस्ती के पश्चात बन्दोबस्त धारी द्वारा लगान–निर्धारण हेतु अथवा नामांतरण हेतु कभी भी प्रयास नही किये गये। भूमि का नामांतरण वर्ष 2013-14 में किया गया जो स्पष्ट करता है कि विपक्षी कभी भी भूमि के दखलदार नही थे। खानापूरी के समय प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना नही थी तथा भूमि का लगान रसीद अभी भी आदिवासी रैयतों के नाम से निर्गत किया जा रहा है। आवेदकों के तरफ से अध्यतन् लगान रसीद भी प्रस्तुत किये गये है। भूमि वापसी वाद के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षियों के दखल में कभी भी नही रही। यहां स्पष्ट नही होता है कि किस आधार पर वर्ष 2013-14 में विपक्षियों अलीउद्दीन के नाम पर नामांतरण किया गया। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा मात्र इस्तीफा नामा के आधार पर तथा जमीनदारी रसीद के आधार पर विपक्षियों के नाम से खाता इन्द्राज करने का आदेश दिया गया है, जो स्पष्टतः आदिवासी भूमि का अवैध हस्तांतरण करने का तरीका माना जा सकता है। प्रश्नगत भूमि निर्विवाद रूप से आदिवासी खाते की खतियानी भूमि है एवं सर्वे अपील के माध्यम से उसका हस्तांतरण किया जाना विधिसम्मत् नही है।

वर्णित परिस्थिति में इस अपील आवेदन को मान्य करते हुए बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या 9/2008 में पारित आदेश को रद्द किया जाता है। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुरूप खतियान की इन्द्राज कायम रहेंगे। प्रश्नगत भूमि पर भूमि वापसी का भी आदेश पारित हो चुका हैं; अतः किसी न्यायालय से स्थगन आदेश नही होने की स्थिति में आदिवासी रैयत को तत्काल दखल दिहानी कराने हेतु भी आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी रांची तथा उपायुक्त राची को अनुपालन हेतु प्रेषित करे।

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.16 12:45:05 +05:30
Location: 10.93.72.187

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त। 04/08/..

आयुक्त। 04/08/20..